

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

अभिलेख वाद सं०... 426/
वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
1.4.2021	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पटित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विपेश सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>पारासुल</u> धाना नं० <u>237</u> खाता सं० <u>15</u> प्लॉट सं० <u>64, 78, 109, 121</u> रकबा <u>1.25</u> <u>0.415</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>नाबाद</u> बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं०..... पर जमाबंदी रैयत <u>जान साह 510</u> <u>विमल साह</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय। अभिलेख, दिनांक <u>15.4.2021</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में 15.4.24

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख, दिनांक 30.4.24 को उपस्थापित करें।

15.4.24
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

30.4.24 अभिलेख उपस्थापित ।

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पीपराकला मौजा नं० 232 खाता सं० 15 प्लॉट सं० 64, 98, 109

141 3 कवा 7/2 किस्म खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि नौका पीपराकला खाता सं० 15 प्लॉट सं० 64, 98, 109

121 कुलरकुल 7/2 कुलरकुल मांगधारी के पुत्र 159/2 पर मांगधारी जका का 510 विमल शंकर साह के नाम पर मांगधारी है। नौका पीपराकला खाता सं० 15 गैरमजरूआ खाते की भूमि है/प्लॉट सं० 64, 98 का कवा जका सं० 15 है/प्लॉट मांग का प्लॉट सं० 64 का कवा जका सं० 15

तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबेध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं० को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

30.4.24
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

30.4.24
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार अंचल - छत्ता 282

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
जगत साहू	पीपराकला	237	15	64	1.75	असमलकजा	जंगल-बाड़ी
शिवसाई साहू				98	0-11	मालिक	जंगल-बाड़ी
				109	0.21		
				121	5.05		

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- फरली

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II के परिवर्तन काल में कोई विवरण दर्ज नहीं है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार :-

(क) अनिवार्य, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार)

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अंचल पदाधिकारी

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा माहिल रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) माहिल-खारिज / भू-उत्पादन / नामांतरण पंजी से :-

बालू मांग
पंजी-गु
से मिलाव
किया।

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन शुद्ध का मौजा - धियरकला खाता 15 कोट 64, 98
109, 121 रकबा 7.12 एकड़ शुद्ध का मांग पंजी-गु के फ. स. - 59/1
पर मांगदारी जगल साह 5/0 सिशदई साह के नाम मांग कायम
है। मांग पंजी-गु के परिवर्तन नालम में मांग कब से हुआ
व मांग खर्च का आधार दर्ज नहीं है। मौजा - 15 धियरकला
का खाता 15 गैरमजसबा खाते की शुरी है। कोट 64, 98 का
किस्म - जगल - झाड़ी दर्ज है। एवं मांग कायम होने का कोई
आधार दर्ज नहीं है, अतः ऐसे में यह मांग अवैध
पंजीत होता है, अतः अंतर बरवाई देल पेशित।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रतिवेदन का जाँच
किया, नहीं पाया। अतः उपवेक्ष मांग को रद्द किया जा
सकता है।
4/5

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- जगन साह धिता / शिवहर साह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं: 59 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
पीपराकला	237	15	64, 98, 109	7.12 अकड़
			121	

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- परिवर्तन प्राधिकरण कालम में कोई विवरण दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- श्रीमान श्री मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- परिवर्तन प्राधिकरण कालम में कोई विवरण दर्ज नहीं है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :- चालू मांग पंजी-II से मिलान किया

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० ५२६ / २०६१२ (अन्तर्गत धारा ४(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम जगन मोह ४ पिा) शिसाई साह

गांव पीपरा कल थाना दतलु

पिा - पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा पीपरा कल थाना नं०.....
खाता सं० १५ खेसरा नं० — रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० ४ के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक ५/३/२४ को समय ११:०० बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-१, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।